भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3278

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

3278. श्री नारायण तातू राणेः

श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देशभर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के मुख्य उद्देश्य और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों को पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में प्रत्येक घटक के अंतर्गत स्वीकृत या संचालित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) अकोला और वाशिम जिलों के लिए अब तक तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में, विशेषकर पिछड़े, अति पिछड़े और आकांक्षी जिलों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वर्ष-वार और घटक-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त योजना सूखाग्रस्त सहित कम वर्षा से प्रभावित जिलों को भी शामिल करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी जिलों को उक्त योजना के तहत कब तक शामिल किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य खेत में पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके दो प्रमुख घटक हैं, नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) जिसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वाटर्शेड विकास घटक का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) घटक, का कार्यान्वयन मार्च 2022 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था और अब प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिसंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 88 परियोजनाओं में समरूप कमांड क्षेत्र विकास सहित 99 चल रही प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरण) को चिन्हित किया गया है और उन्हें पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल किया गया। इनमें से 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं।

वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी के उपरांत, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 19 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण का कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 03 परियोजनाएं महाराष्ट्र की हैं।

वर्ष 2016-25 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 29.23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत 22.21 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। इनमें से 4.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई और 2.71 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र महाराष्ट्र में इस अवधि के दौरान विकसित किए गए हैं। तथापि, महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों को लाभान्वित करने वाली कोई भी परियोजना पीएमकेएसवाई-एआईबीपी या पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**लाभान्वित राज्य**	**सिंचाई क्षमता सृजित/ कमान क्षेत्र विकसित (हजार हेक्टेयर में)**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी			
1.	अपर पैंगांगा परियोजना	यवतमाल, नांदेड़ और हिंगोली	41.58
2.	बेम्बला परियोजना	यवतमाल	51.73
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी और डब्ल्यूएम			
1.	अपर पैंगांगा परियोजना	यवतमाल, नांदेड़ और हिंगोली	12.67
2.	बेम्बला परियोजना	यवतमाल	26.46

(घ): पीएमकेएसवाई योजना के अलावा वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के शेष भाग के अन्य दीर्घकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज में 08 प्रमुख और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाएं और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 03 प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं, अर्थात् पूर्णा बैराज-2 परियोजना, जिगांव परियोजना और घुंगशी बैराज परियोजना, महाराष्ट्र के अकोला जिले को लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा, 07 एसएमआई परियोजनाएं अकोला जिले को, 18 एसएमआई परियोजनाएं वाशिम जिले को और 14 एसएमआई परियोजनाएं यवतमाल जिले को लाभान्वित करती हैं।

(ङ): गत पांच वर्षों में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत महाराष्ट्र को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता निम्नानुसार है।

क्र. सं.	**घटक**	**प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (रूपए करोड़ में)**				
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	301.85	285.55	155.28	266.96	163.85
2.	पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडी और डब्लूएम	46.23	28.88	60.75	69.84	18.33

(च) और (छ): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना में शामिल होने के मानदंडों में छूट और अधिक केंद्रीय सहायता के संदर्भ में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कम से कम पचास प्रतिशत (50%) वास्तविक प्रगति की पात्रता के मानदंड को उन परियोजनाओं के लिए शिथिल कर दिया गया है जिनका 50% से अधिक कमान क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, सामान्य श्रेणी के राज्यों में परियोजनाओं के लिए प्रचलित वित्तपोषण पैटर्न 25 (केंद्र):75 (राज्य) को सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं के लिए उनके सूखाग्रस्त कमान क्षेत्र के अनुपात में बढ़ाकर 60 (केंद्र):40 (राज्य) कर दिया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र की 29 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करती हैं।

पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन से संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं।

*****